तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रामचन्द्र वगै. बनाम मोहनी वगै.

अपील संख्या :–12/2025

11-05-26

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने लिखित राजीनामा पेश कर कथन किये कि प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 17 व अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 18 के मध्य समाज व परिवार के मौजिज व्यक्तियों की समझाईस व लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। राजीनामा के मुताबिक शेष पक्षकारान को खातेदारी अधिकार देने व मुताबिक राजीनामा खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, बीकानेरसे बिन्दूवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन भूमि पैरीफेरी क्षेत्र में आती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से खातेदारी अधिकार जारी करने से पूर्व जिला कलक्टर से पूर्व अनुमोदन नही लिया गया। और ना ही 20 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा करवाई गई।

प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन आराजी खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2015 में सुण्डा वल्द मूलाराम माली के नाम दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सुण्डाराम के वारिसान बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उभय पक्ष द्वारा स्वीकृत तथ्य है कि सुण्डाराम के चार पुत्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गोविन्दराम, रामचन्द्र, दाउलाल व चौरूलाल हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुण्डाराम के दो पुत्रो/उनके वारिसो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9, 10 ता 17 के नाम प्रश्नगत भूमि की खातेदारी दी गई जबकि सुण्डाराम के शेष वारिसान अपीलांटगण को खातेदारी अधिकार नही दिये गये।

इस संबंध में न्यायालय का मत यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुण्डा के वारिसान को आंशिक रूप से खातेदारी जारी करने में विधिक रूप से त्रुटि कारित की है। किसी भी आवंटी/गैर खातेदार को आंशिक रूप से (पार्सियली) खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय यदि प्रकरण के परीक्षण के बाद यह पाता है कि आवंटी/गैर खातेदार द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है तो उसे विधिक प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जाएगे। इसके विपरीत आवंटी या गैर खातेदार द्वारा यदि आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है तो उसे खातेदारी अधिकार नही दिये जाएगे तथा उसके आवंटन निरस्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय यदि प्रकरण के परीक्षण के बाद आवंटी/गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार का पात्र मानता तो उसे सुण्डा के सभी वारिसान के नाम खातेदारी अधिकार जारी करने चाहिए थे और दूसरी स्थिति में यदि प्रकरण में यदि आवंटन शर्तो का उल्लंघन पाया जाता तो किसी भी वारिसान के नाम खातेदारी अधिकार जारी नही करने चाहिए थे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से आवंटी के आधे वारिसान के नाम खातेदारी जारी कर दी जबकि शेष वारिसान को गैर खातेदार ही रख दिया। साथ ही खातेदारी अधिकार जारी करने से पूर्व मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट जिला कलक्टर का पूर्व अनुमोदन नही लिया गया। राजकोष में निर्धारित राशि भी जमा नही करवाई गई। इस सूरत में

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अतः अपीलाधीन न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश नही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08–01–2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण इन निर्देशो के साथ अधीनस्थ न्यायालय/तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रस्तुत राजीनामा को दृष्टिगत रखते हुए तथा तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक कमीपूर्ति करवाते हुए आवंटी के सभी वारिसान को खातेदारी अधिकार देने के संबंध में विधिक प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार कार्यवाही करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते